भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2895
उत्तर देने की तारीख 13 अगस्त, 2026

'मेरा डाक टिकट' की संकल्पना

2895. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'मेरा डाक टिकट' संकल्पना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या अपराधियों या कुख्यात लोगों के लिए 'मेरा डाक टिकट' संकल्पना के तहत अपनी फोटो वाले डाक टिकट जारी करवाने पर कोई रोक नहीं है;

(ग) क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिसके बूते कर चूककर्ताओं और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए 'मेरा डाक टिकट' संकल्पना उपलब्ध न हो; और

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय उपर्युक्त संकल्पना को बंद करने के लिए क्या कदम उठा रहा है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) माय स्टांप, डाक-टिकटों की एक वैयक्तिक (पर्सनलाइज्ड) शीट है। यह वैयक्तिककरण (पर्सनलाइजेशन), ग्राहक की छोटी-सी तस्वीर, संस्थानों के चित्र और लोगो, या कलाकृतियों, धरोहर भवनों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक शहरों, वन्यजीवों, अन्य

पशुओं और पक्षियों आदि के चित्र, चयनित माय स्टांप शीट पर मुद्रित करके किया जाता है। 'माय स्टांप' का उपयोग घरेलू डाक प्रेषण के लिए वैध डाक-टिकट के रूप में किया जा सकता है। ग्राहक, उपलब्ध विभिन्न माय स्टांप थीम में से अपनी पसंद की थीम का चयन कर सकते हैं।

(ख) एवं (ग) जी, नहीं। 'माय स्टांप' के अंतर्गत अपराधियों या कुख्यात व्यक्तियों की तस्वीरों वाले डाक-टिकट जारी होने से रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। प्रत्येक आवेदक को 'माय स्टांप' के लिए निर्धारित ऑर्डर फॉर्म के साथ सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, पते का प्रमाण और यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है कि क्या उस पर कभी कोई आपराधिक कार्यवाही हुई है, उसे न्यायालय में दोषी ठहराया गया है, उसे हिरासत में रखा गया है या उसके खिलाफ किसी न्यायालय में कोई मामला लंबित है। इसके अलावा, उसे ऐसी कोई भी तस्वीर प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए जो कानून का उल्लंघन करती हो, समाज के नैतिक मूल्यों को ठेस पहुंचाती हो या देशहित के विरुद्ध हो।

(घ) उपर्युक्त पैरा (ख) एवं (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****